

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र010/ख0वि0अधि0- 14/2021

124

खाद्य/पटना/दिनांक- 11-01-2022

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्स/व्यापार मंडल को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के संबंध में।

प्रसंग:- भारत सरकार का पत्रांक -192(20)/2021-FC.A/cs (E.378050) दिनांक 24.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडल को किसानों से धान अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में धान अधिप्राप्ति एजेन्सियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्स/व्यापार मंडल को कितनी राशि देय होगी, इस विषय पर राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या- 14 दिनांक- 01.01.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक की समीक्षोपरान्त पैक्स एवं व्यापार मंडलों के लिए निम्नांकित आकस्मिक (Incidentals) व्यय की दरें संसूचित की जा रही है :-

Particulars	Rate prescribed as per GOI (Rs per Qtl)	Amount Payable to PACS/Society for purchase of CMR (Rs per Qtl)	Rate prescribed as per GOI (Rs per Qtl)	Amount Payable to PACS/Society for purchase of CMR (Rs per Qtl)
	Proposed Rate of Raw Rice		Proposed Rate of Parboiled Rice	
Mandi Labour Charges (Handling Charges)	8.84	8.84	8.84	8.84
Transportation Charges for transportation of paddy and Rice from purchase center to temporary stores point*	38.51	38.51	38.51	38.51
Driage @ 1% of the MSP	19.40	19.40	0	0
Commission to Societies	31.25	31.25	31.25	31.25
Custody and maintenance charges @ 2.40 per Qtl. for two month.	4.80	4.80	4.80	4.80
Interest charges for two month on MSP, Mandi Labour Charges and Commission to societies & Transportation charges.	26.04	26.04	26.04	26.04
Milling charges excluding Rs. 5.00 per Qtl. As transportation charges for upto 8 KMS on each side from mandi to mills for paddy as well as rice.	10.00	10.00	20.00	20.00
Total	138.84	138.84	129.44	129.44

Note : TDS on commission to Society is proposed to be deducted from the payment to PACS and if PAN no. is not provided by PACS TDS @ 20% should be deducted. It should also be noted that current rate of TDS for commission is 5%.

Also, TDS under section 194Q needs to be deducted as per the applicability.

** Usage charges will be paid if the claim is raised along with the certificate as per the guidelines sanction no. 15-14/2018-PyIII dated 13.12.2018 which is annexed herewith. According to the guidelines, usage charges will be payable if bags are purchased by the PACS.

2. भारत सरकार के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को गन्नी बैग के भुगतान आदि के लिए पत्र संख्या- 15-14/2018-PyIII दिनांक- 13.12.2018 के द्वारा Usage Charges भुगतान का प्रावधान किया गया है। उक्त के आलोक में अधिप्राप्ति अभिकरणों यथा पैक्स तथा व्यापार मंडलों से उनके द्वारा एक बार प्रयोग में लाये गये गन्नी बैग्स का क्रय एवं उपयोग किये जाने से संबंधित लेखा संधारित कर संधारित लेखाओं का अंकेक्षण कराकर सहकारिता विभाग को समर्पित किया जाएगा एवं सहकारिता विभाग उपर्युक्त अंकेक्षित लेखाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के स्तर से निर्धारित विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रमाण पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समर्पित किया जाएगा। तदोपरान्त भारत सरकार से Usage Charges के रूप में राशि प्राप्त कर भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. समितियों के कमीशन मद के लिए स्वीकृत राशि से नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती कर पैक्स एवं व्यापार मंडलों को भुगतान किया जाएगा। यदि पैक्स एवं व्यापार मंडलों के द्वारा इस हेतु पैन संख्या बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तो टी0डी0एस0 की कटौती 20 प्रतिशत की दर से की जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में टी0डी0एस0 कटौती दर 5 % निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों सहित सभी पैक्स/व्यापार मंडल को इस निदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

Shree
11/1 विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0- 14/2021 124 खाद्य/पटना/दिनांक- 11-01-2022
प्रतिलिपि - सचिव-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

Shree
11/1

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0- 14/2021 124 खाद्य/पटना/दिनांक- 11-01-2022
प्रतिलिपि - सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

Shree
11/1

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0- 14/2021 124 खाद्य/पटना/दिनांक- 11-01-2022
प्रतिलिपि - सभी जिलों के प्रभारी मा0 मंत्री /सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/ प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
11/1

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0- 14/2021 124 खाद्य/पटना/दिनांक- 11-01-2022
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना तथा आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने तथा ई-मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Shree
11/1 xxii

सरकार के विशेष सचिव।